



M.C. KEJRIWAL VIDYAPEETH



Boys' School affiliated to CISCE, New Delhi.

NABET accreditation no. ES1317057

243, G.T. Road (N), Liluah, Howrah-711204

P: 91-033-26543326/26543387, E: info@mckv.edu.in, W: www.mckv.edu.in

Ref: MCKV/17-18/609

Date: 17/11/2017

Subject: Wearing helmet is compulsory-a joint appeal by Howrah City Police and MCKV

Dear Parents,

Many of our children, especially the younger ones, are brought to school by their fathers on motorbikes/scooters.

Very often, neither the father nor the child wears a helmet. Sometimes, the father wears a helmet, but the child does not.

Under Section 177 of the Motor Vehicles Act, it is compulsory for both driver and passenger of motorized two-wheelers to wear helmets. Violation of this rule is a punishable offence.

Punishable offence apart, more importantly, in an accident a helmet can mean the difference between life and death.

In the interest of the safety of our children and their parents, Howrah City Police and MCKV jointly appeal to all of you who drive motorbikes/scooters to please ensure that both you and your passengers wear helmets.

Life is a precious, one-time gift from God. Let us vow to protect it.

विषय : हेलमेट पहनने की अनिवार्यता – हावड़ा सिटी पुलिस और एम.सी.के.वी. की संयुक्त अपील

प्रिय अभिभावकगण,

हमारे बहुत से बच्चे, विशेषकर छोटे बच्चे अपने पिता के द्वारा स्कूटर या मोटर बाइक से स्कूल पहुँचाए जाते हैं। अक्सर यह देखा जाता है कि न तो पिता ने हेलमेट पहना है न बच्चे ने। कभी-कभी पिता तो हेलमेट पहने देखे जाते हैं, लेकिन बच्चा बिना हेलमेट के।

मोटर वेहिकल एक्ट (Motor Vehicles Act) की धारा 177 के अंतर्गत दुपहिया चालक (Driver of motorized two wheelers) और अन्य सवार व्यक्ति के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है और इस नियम की अवहेलना करना एक दंडनीय अपराध है।

अपराध वगैरह की बात यदि हम एक ओर रख भी दें, तो भी सड़क दुर्घटना में अपने बचाव के लिए भी तो हेलमेट पहनना ज़रूरी है। प्रायः सड़क दुर्घटनाओं में हेलमेट जीवन – रक्षक साबित होता है।

हमारे बच्चों और उनके अभिभावकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हावड़ा सिटी पुलिस और एम.सी.के.वी. की संयुक्त रूप से सभी दुपहिया चालकों से अपील है कि वे स्वयं भी हेलमेट पहनें और अपनी सवारियों को भी पहनाएँ।

जीवन ईश्वर का दिया हुआ एक अमूल्य उपहार है, जो सिर्फ एक बार ही मिलता है। तो आइए, हम सब मिलकर इसकी सुरक्षा की शपथ लें।

P.T.O.

বিষয়- হেলমেট ব্যবহার বাধ্যতামূলক (হাওড়া সিটি পুলিশ এবং এম.সি. কেজরিওয়াল বিদ্যাপীঠ-এর যৌথ আবেদন)

মাননীয়

অভিভাবক/ অভিভাবিকা গণ,

আমাদের বিদ্যালয়ের অনেক ছাত্র তাদের অভিভাবকদের সাথে মোটরবাইক বা স্কুটার করে আসে। অনেক সময় ছাত্র ও অভিভাবক - কারোর মাথাতেই হেলমেট থাকে না। আবার কখনো অভিভাবকদের মাথায় হেলমেট থাকলেও ছাত্রদের মাথায় হেলমেট থাকে না।


“মোটর ভেহিকলস অ্যাক্ট” এর অন্তর্গত ১৭৭ ধারা অনুযায়ী দুই চাকাবিশিষ্ট যানে যাতায়াতে হেলমেট পরা বাধ্যতামূলক। এই আইন অমান্য করা শাস্তি যোগ্য অপরাধ। হেলমেট না পরে যাতায়াতে বিপদের ঝুঁকি থাকে।

ছাত্রদের নিরাপত্তার কারণে হাওড়া সিটি পুলিশ এবং এম.সি. কেজরিওয়াল বিদ্যাপীঠ-এর পক্ষ থেকে সম্মিলিতভাবে অভিভাবকদের কাছে আবেদন করা হচ্ছে যে মূল্যবান জীবনের সুরক্ষার জন্য আপনি ও আপনার পরিবারের সবার হেলমেট পরা সুনিশ্চিত করুন।

Thanking you,

Yours faithfully,

For M. C. Kejriwal Vidyapeeth



Neelkantha Gupta

Principal

